न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/22/2021

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री सन्तोष कुमार जैन, पूर्व अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (कार्यालय अधीक्षक) निवासी –बी–140 अशोक विहार (कर्मचारी कॉलोनी) अलवर (राज0)	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 22.02.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी राजस्व विभाग, राज.सरकार जयपुर को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 27.7.20, 17.8.20, 11.9.20 जो कार्यालय को दिनांक 18.12.20 को प्राप्त हुऐं कि बिन्दुवार सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 22.02.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाव प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 413 दिनांक 15.02.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित करते हुए पत्र की प्रति संलग्न कर जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है। लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
5. निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
6. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर